राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1269/2025

राजेन्द्र कुमार दानोदिया —अपीलार्थी

बनाम

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना–कुचामन।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 20.02.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कुलदीप सिंह पूनियां, अधिवक्ता

समक्षः– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर उपखण्ड कार्यालय डीडवाना में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपखण्ड कार्यालय लाडनू, जिला नागौर में किया गया है। उक्त आलौच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम गलत दर्शातें हुए स्थानान्तरण किया गया है। स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी का नाम राजेन्द्र दानोदिया अंकित किया गया है, जबकि अपीलार्थी का सही नाम राजेन्द्र कुमार दानोदिया है, जो बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये आलौच्य आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी के आधार कार्ड की प्रति अनुलग्नक–2 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी उपखण्ड कार्यालय डीडवाना में कोर्ट अनुभाग में रीडर के पद पर समस्त कार्य संपादित करता है। उक्त आलौच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक को पदस्थापित/स्थानांतरित नहीं किया गया है, जिससे वहा कोर्ट अनुभाग का कार्य विपरीत रूप से प्रभावित होगा। अपीलार्थी के कार्य आवंटन आदेश की प्रति अनुलग्नक–3 पर संलग्न है। अपीलार्थी का उक्त स्थानान्तरण राजनैतिक

द्वेषता के कारण किया गया आदेश है। आलोच्य आदेश प्रशासनिक कारणो से/लोकहित के दृष्टिगत जारी नहीं है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी को निरंतर वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत रखा जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानानतरण उपखण्ड कार्यालय डीडवाना से उपखण्ड कार्यालय लाडनू, जिला नागौर में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का नाम राजेन्द्र दानोदिया अंकित किया गया है, जबकि अपीलार्थी का सही नाम राजेन्द्र कुमार दानोदिया है। हम पाते है कि अपीलार्थी के नाम में मात्र अंश कुमार अंकित नहीं होने से अपीलार्थी के पहचान जाने पर कोई अन्तर नहीं पड़ता है ऐसे में केवल मात्र लिपिकीय टंकण त्रुटि के कारण स्थानान्तरण आदेश को निरस्त किया जाना उचित नहीं है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक एवं राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करे। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करना का अधिकारी नहीं है जब तक कि उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते है इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य